न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. मंजू,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 002/2026 (अपील रसद)
पंजीयन दिनांक 04.03.2026
G.C.M.S. NO. :- 2026/58

राज्य सरकार जरिये हिमांशु जोशी, प्रवर्तन निरीक्षक कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी

बनाम

श्री संदीप जागेटिया पिता नरेन्द्र जागेटिया, निवासी गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़

–विपक्षी

कार्यवाहीः–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के तहत अभिगृहित सामग्री के निस्तारण बाबत।

उपस्थिति : 1–प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 12.05.2026

प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.01.2026 को प्रातः 11.00 बजे घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर से अवैध रिफिलिंग की प्राप्त शिकायत के आधार पर अम्बिका किराणा स्टोर, गंगरार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 002/2026 (अपील रसद)
राज्य सरकार जरिए हिमांशु जोशी, प्रवर्तन निरीक्षक, कपासन बनाम संदीप पिता नरेन्द्र जागेटिया निवासी गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़

में मौके पर पहुंच जांच की गई वहां पर पूर्व में ही पुलिस उप अधीक्षक शिवन्या सिंह मय जाब्ता उपस्थित मिली। अम्बिका किराणा स्टोर व साथ ही बने मकान पर जांच करने पर मौके पर अवैध गैस रिफिलिंग हेतु 03 मोटर (पम्प) एवं 42 गैस सिलेण्डर जिनमें 28 सिलेण्डर भारत गैस के घरेलू श्रेणी के, 12 सिलेण्डर इण्डेन गैस के घरेलू श्रेणी के एवं 2 सिलेण्डर इण्डेन गैस के व्यवसायिक उपयोग वाले 5 किलो वाले का अवैध भण्डारण होना पाया गया। मौके पर उपस्थित संदीप पुत्र नरेन्द्र जागेटिया द्वारा स्वयं को उक्त किराणा दुकान व मकान का मालिक होना बताया साथ ही विगत 02 वर्षों से गैस सिलेण्डरों से अवैध रिफिलिंग करना स्वीकार किया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाने से मौके पर उक्त 42 गैस सिलेण्डर मय 03 मोटर जब्त कर, उक्त जब्त शुदा सामग्री के निस्तारण हेतु यह प्रकरण प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना-पत्र जारी किया गया। विपक्षी को सूचना पत्र/नोटिस तामील हो जाने के बाद भी विपक्षी उपस्थित नहीं हुआ। अतः विपक्षी के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अतः बहस प्रकरण पैरोकार सरकार सुनी गई।

पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नही किया जा सकता है। दिनांक 09.01.2026 को शिकायत के आधार पर अम्बिका किराणा स्टोर व उसके साथ ही बने मकान की जांच करने पर उक्त किराणा स्टोर एवं मकान में विपक्षी के कब्जे में घरेलू श्रेणी गैस के 40 सिलेण्डर जिनमें 28 सिलेण्डर भारत गैस एवं 12 सिलेण्डर इण्डेन गैस के तथा 02 इण्डेन गैस के 5 किलो वाले व्यवसायिक सिलेण्डर मय 03 मोटर अवैध रिफिलिंग हेतु अनाधिकृत पाए गए जिनका कोई दस्तावेज विपक्षी द्वारा प्रस्तुत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नहीं किया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस एवं मोटर राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। प्रवर्तन निरीक्षक कपासन द्वारा अम्बिका किराणा स्टोर गंगरार एवं उसके साथ ही बने मकान का निरीक्षण/जांच करने पर मौके पर घरेलू श्रेणी के 40 गैस सिलेण्डर (28 भारत गैस एवं 12 इण्डेन गैस) एवं व्यवसायिक उपयोग वाले 5 किलो के 02 गैस सिलेण्डर मय 03 मोटर (पम्प) अवैध गैस रिफिलिंग हेतु अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाये गये। मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों के वैध दस्तावेज मांगने पर विपक्षी द्वारा वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

इस प्रकार विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग हेतु अवैध भण्डारण करना पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नही किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया है। अतः जब्त शुदा एल. पी. जी. गैस के घरेलू श्रेणी के 42 सिलेण्डर (28 भारत गैस, 12 इण्डेन गैस एवं 02 गैस सिलेण्डर व्यवसायिक 5 किलो वाले इण्डेन गैस) मय गैस एवं मय 03 मोटर राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए जब्त शुदा घरेलू श्रेणी के 42 सिलेण्डर (28 भारत गैस, 12 इण्डेन गैस एवं 02 गैस सिलेण्डर व्यवसायिक 5 किलो वाले इण्डेन गैस) मय गैस एवं मय 03 मोटर राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डर मय अन्य सामग्री के निस्तारण की कार्यवाही कर पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(डॉ. मंजू)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official